राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 942वी बैठक दिनांक 02.03.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 942वी बैठक दिनांक 02.03.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	8380/2021	5(g)	बड़वानी	Fuel Ethanol	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
2.	P2/2243/2026	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/2239/2026	1(a)	मंदसौर	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/2054/2025	1(a)	सीधी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
5.	P2/1637/2025	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
6.	8492/2021	1(a)	टीकमगढ़	क्वार्टज खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
7.	P2/2030/2025	1(b)	रायसेन, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, सीधी, शहडोल	Research & Development Project for Helium Exploration	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
8.	P2/1470/2025	5(f)	भिण्ड	Synthetic Resin Manufacturing Unit	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	P2/1983/2025	1(a)	डिण्डौरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 942वी बैठक दिनांक 02.03.2026 का कार्यवाही विवरण

10.	P2/1605/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P2/1529/2025	1(a)	धार	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
12.	P2/2012/2025	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	P2/1585/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	10772/2023	1(a)	भोपाल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	1953/2014	1(a)	टीकमगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
16.	P2/1857/2025	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
17.	P2/2008/2025	1(a)	आगर–मालवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	8673/2021	1(a)	झाबुआ	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
19.	P2/1190/2025	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
20.	P2/1550/2025	1(a)	कटनी	बॉक्साईट, फायरक्ले एवं लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
21.	5708/2018	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	बैंक गांरटी विमुक्त	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
22.	5707/2018	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	बैंक गांरटी विमुक्त	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 942वी बैठक दिनांक 02.03.2026 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No.1. SIA/MP/IND2/555883/2025; Case No.: 8380/2021 Prior Environment Clearance for Capacity Expansion from Fuel Ethanol for 45 KLPD on C Molasses / 65 KLPD on B Molasses / 75 KLPD on Cane Juice or Syrup/ & 110 on Grain Base Operation to Fuel Ethanol for 45 KLPD on C Molasses / 65 KLPD on B Molasses / 75 KLPD on Cane Juice or Syrup& 200 on Grain Base Operation (By Product: Recoverable CO2 of 90 TPD & 125 TPD of DDGS) at Khasra No. 212, 213, 214/1, 214/2, 216,217 Village Ghatwa, TehsilThikri Dist. Barwani (M.P.) – 451660. Toal Land Area: Area Existing- 30 Ha., Area Proposed35 Ha., Area Total - 65 Ha. by Shri Rishabh Goyal, Mekalsuta Sugars Private Ltd, Village-Ghatwa, TehsilThikri, Distt. - BARWANI (M.P.) 475660. FoR - EIA (Qry. Reply).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 866वी बैठक दिनांक 05.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वाराऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसारपाया गया :–

ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तावित विस्तार परियोजना के संबंध में अग्निशमन विभाग की NOC तथा ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste) एवं अतिरिक्त शोधनित अपशिष्ट जल (Extra Treated Waste Water) के निस्तारण हेतु पूर्व में प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।

राज्य स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पुनः विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

2. Proposal No.: SIA/MP/INFRA2/562751/2025; Case No. P2/2243/2026 Prior Environment Clearance for Proposed "Chirayu University" By M/S Chirayu Charitable Foundation"at Khasra No. 1132/1(S) 1133 & 1139, 1132/2(S) 1133 & 1139, 1146/1/2, 1146/2/1,1146/2/2 at Village Bhauri,Tehsil–Huzur, District Bhopal, (M.P.).Total Project Area 40,000 sq ft. Built up Area 25648.83 m2., DG SET – 2400 KVA STP- 400 KLDby Shri Kshitij Shrivastava, Director Operation IT, Chirayu Charitable Foundation, Village Bhauri, Tehsil - Huzur, District - Bhopal (M.P.) – 462030.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **866**वी बैठक दिनांक **05/02/2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वाराऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. उक्तपरियोजना मेसर्स **Chirayu Charitable Foundation** द्वारा प्रस्तावित "चिरायु यूनिवर्सिटी" हेतु खसरा क्रमांक **1132/1(S) 1133 & 1139, 1132/2(S) 1133 & 1139, 1146/1/2, 1146/2/1,1146/2/2**, ग्राम भौरी, तहसील–हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है उक्त प्रस्ताव श्री क्षितिज श्रीवास्तव, डायरेक्टर **Operation IT, Chirayu Charitable Foundation, Village Bhauri, Tehsil - Huzur, District - Bhopal (M.P.) – 462030**द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल भू–क्षेत्रफल 40,000 वर्ग फीट है प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) 25,648.83 वर्ग मीटर है जो1,50,000.00sq.mसे कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **866**वी बैठक दिनांक **05.02.2026**में"पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 34 से 50 तक अंकित है।
4. उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

S.No.	Information Required	Details
1.	**Project Name**	Shri Kshitij Shrivastava, Director Operation IT, CHIRAYU CHARITABLE FOUNDATION, VILLAGE BHAURI, TEHSIL - HUZUR, DISTRICT - BHOPAL (M.P.) – 462030.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2.	**Description of Project**	Chirayu University Of Chirayu Charitable Foundation
3.	**Project Location details.**	At Khasra No. 1132/1(S) 1133 & 1139, 1132/2(S) 1133&1139, 1146/1/2, 1146/2/1,1146/2/2 Village- Bhauri,Tehsil–Huzur, District - Bhopal, (M.P.).
4.	**Project/Activity Cost**	5000 Lakhs.
5.	**Project Area details**	• Total Project Area 40,000 sq ft. • Built up Area 25648.83 m2.,
6.	**SPCB Comments CTE details**	Consent No: CTE-56227 Outward No:115918,01/07/2022 CTE Expansion: Consent No: CTE-63286 Outward No:124053,07/11/2025 CTO:Outward No:124296,15/12/2025 Consent No:AWH-63510
7.	**Declaration regarding Litigation/Constructi on .**	No Construction Activity Start at site Declaration copy uploaded on Parivesh Portal dated 20/11/2025.
8.	**Height of Building**	18 M.
9.	**Municipal Approval Part A - 2022**	PMT/BHO/0269/1552/202 date 01 July 2025
10.	**T& CP Approval letter copy**	BPLLP-8247/L.P. 178/DO Bhopal/2025 Bhopal Dated 09/01/2022 Uploaded on Parivesh Portal.
11.	**Total Daily Water requirement**	247 KLD
12.	**Treated Effluent from STP@90% of STP Capacity.**	197 KLD
13.	**Total Fresh Water required from municipal Water**	247 KLD
14.	**Solid Waste Generation**	1.964 TPD

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

15.	Water NOC details.	Letter issued by BMC Bhopal vide letter no. 458/SE/WW Bhopal dated 13/10/2025.
16.	MSW NOC details.	Letter issued by BMC Bhopal vide letter no. 44/BMC/SBM/2026 Bhopal dated 16/01/2026.
17.	Building Permission details	PMT/BHO/0269/1436/2022 Dated 05 May 2022.
18.	Diesel power generating capacity (power backup)	2 × 1200 kVA DG sets,
19.	Parking Number	257 ECS (Stilt Parking – 153 ECS + Open Parking – 104 ECS
20.	RWH Pit details	03 No.
21.	Env. Consultant details	M/s.Varun Enviretech Private Limited, Bhopal (M.P.) Valid up to 03/10/2028.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वाराप्रस्तुत जानकारी जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति(**SEAC**)की 866वी बैठक दिनांक 05.02.2026की अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**)की **942**वीं बैठक दिनांक **02.03.2026**में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों,मानक शर्तों(परिशिष्ट–1)के साथनिम्नबिंदु **i** से **viii** को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को **EIA** अधिसूचना **2006** एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

ii. परियोजना के जलापूर्तिके लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

iv. परियेाजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

viii. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

3. Proposal No. SIA/MP/MIN/558771/2025, Case No. P2/2239/2026Prior Environment Clearance for Stone & Murram Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. for production Capacity of Murram 7,018 m3/ Year, Stone (Gitti) 10,000 cum/year & M-Sand 10,000 m3/Year, at Khasra No.- 473, Village: - Junapani Pawati, Tehsil: - Garoth, District Mandsaur (M.P) by M/s. Maa Bhagwati Construction, Shri Govind Singh, Lessee, R/o-Hanuman Mandir ke Pass, Dasoriya Road Guradiya Mata, Tehsil Garoth, District-Mandsaur, M.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **866वी बैठक दिनांक 05.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 866वी बैठक दिनांक 05.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर द्वारा आदेश क्र. 1658 दिनांक 26. 09.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.09.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

4. Proposal No. SIA/MP/MIN/511922/2025, Case No. P2/2054/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1 00. ha. for production Capacity of 9975 cum per annum, at Khasra No. 97, Village – BARI Tehsil – Gopadbanas District-Sidhi (M.P.) by Ganesh Singh, Project Proponent, Villagepadainiya Kalan, Tehsil-Gopad Banas District-Sidhi (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 866वी बैठक दिनांक 05.02.2026 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"........समिति ने पाया कि पूर्व दिशा– 22 मी. पर आबादी स्थित होने पर यदि 100 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ा जाता है तो खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। प्रकरण में डिया की पर्यावरण स्वीकृति मेंउल्लेखितशर्तों का पालन संतोषजनक नहीं पाया गया है। अतः प्रस्तावित स्थल के समीप आबादीको दृष्टिगत रखते हुएसमिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया तथा प्रकरण को पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा योग्य नहीं पाया गया है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 866वी बैठक दिनांक 05.02.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

5. Proposal No. SIA/MP/MIN/521778/2025, Case No. P2/1637/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 Hectare, for Production Capacity of 8550 cubic meters per year, at Village Alisariya, Tehsil Kalapipal, District Shajapur, (MP) by Shri Vikas Sonaniya, S/o Shri Mukesh Prakash Sonaniya,, Aranyakalan, Tehsil - Kalapipal, District – Shajapur (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **866वी बैठक दिनांक 05.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में खनन क्षेत्र में कितनी गहराई तक खनन कार्य किया गया है की जानकारी जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत की जावे।
2. खनन क्षेत्र में 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन किये जाने के संबंध में प्राप्त DGMS की अनुमति प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत की जावे। इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

6. **Proposal No. SIA/MP/MIN/559357/2025, Case No. 8492/2021 Prior Environment Clearance for Quartz Mine (opencast manual/semi-mechanized method), in an area of 12.0 ha. for Expansion Production Capacity of 15,000 cum per annum to 3,00,000 cum per annum, at Khasra No. 993/2, Village-Dargawan, Tehsil & District - Tikamgarh (M.P.) by Shri Brijesh Soni S/o Shri Babulal Soni, R/o Chhoti Devi Temple, District Tikamgarh (MP) Regarding transfer of EC in the name of Shri Shivam Soni S/o Late Shri Brijesh Soni, R/o Chhoti Devi Temple, Tikamgarh (M.P.)**

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 866वी बैठक दिनांक 05.02.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

.... The committee observed the documents and information submitted on the Portal in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC. The lease transfer date 12/03/2024 and application for EC transfer is 22/12 on portal. The application for EC transfer is made within 24 months hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC.

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 866वी बैठक दिनांक 05.02.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Shri Brijesh Soni S/o Shri Babulal Soni, R/o Chhoti Devi Temple, District Tikamgarh (MP)** के नाम **Quartz Mine (opencast manual/semi-mechanized method), in an area of 12.0 ha. for Expansion Production Capacity of 15,000 cum per annum to 3,00,000 cum per annum, at Khasra No. 993/2, Village-Dargawan, Tehsil & District - Tikamgarh (MP)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **Shri Shivam Soni S/o Late Shri Brijesh Soni, R/o Chhoti Devi Temple, Tikamgarh (M.P.)**के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति **Identification No. - EC25B001MP189697** दिनांक 11.11.2025 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) टीकमगढ़ के लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 1563 दिनांक 12.03.2024 एवं पूरक अनुबंध दिनांक 08.03.2024 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वेधता दिनांक 21.09.2045 तक वैध मान्य रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

7. Proposal No.: SIA/MP/IND2/542821/2025; Case No.: P2/2030/2025 Prior Environment Clearance for Research & Development Project for Helium Exploration Non-Forest Land 1.5925 Ha. proposes to undertake the exploratory drilling of 13 wells for Helium gas exploration across seven districts in Madhya Pradesh namely Raisen, Sagar, Damoh, Chhatarpur, Panna, Sidhi and Shahdol under R&D programme by Shri Veerendra Singh, Project Manager Uranium Project OEC, M/s Oil and Natural Gas Resources, ONGC Energy Centre Trust 6th Floor, Core-3, Scope Minar, Laxmi Nagar, EAST New Delhi-110092.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **867**वी बैठक दिनांक **07.02.2026**में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वाराऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसारनिम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त प्रकरण अनुसंधान एवं विकास (R&D) कार्यक्रम के अंतर्गत हीलियम एक्सप्लोरेशन परियोजना गैर–वन भूमि (Non-Forest Land) क्षेत्रफल 1.5925 हे. में मध्यप्रदेश के निम्न सात जिलों **Raisen, Sagar, Damoh, Chhatarpur, Panna, Sidhi and Shahdol** में हीलियम गैस अन्वेषण हेतु कुल 13 अन्वेषण कुओं (Exploratory Wells) की ड्रिलिंग हेतु **Shri Veerendra Singh, Project Manager Uranium Project OEC, M/s Oil and Natural Gas Resources, ONGC Energy Centre Trust 6th Floor, Core-3, Scope Minar, Laxmi Nagar, EAST New Delhi-110092** द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।

2. परियोजना **EIA** नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार परियोजना को अनुसूची 1(बी) के अंतर्गत अपतटीय/तटीय तेल और गैस अन्वेषण, विकास और उत्पादनमें शामिल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.01.2020 के अनुसार ऑफ–शोर और ऑनशोर तेल और गैस अन्वेषण को 'श्रेणी बी 2' परियोजनाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है।

3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति(**SEAC**) की867वी बैठक दिनांक 07.02.2026को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 1 से 12 तक अंकित है।

4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

Project Name	**Research & Development Project for Helium Exploration**
Proposal /Activity Name **Location of Project**	Shri Veerendra Singh, Project Manager Uranium Project OEC, M/s Oil and Natural Gas Resources, ONGC Energy Centre Trust 6th Floor, Core-3, Scope Minar, Laxmi Nagar, EAST New Delhi-110092. M/s ONGC Energy centre Trust, Prior Environment Clearance for Research & Development Project for Helium Exploration Non-Forest Land - 1.5925 Ha. Category: 1(b) Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production.
Proposed Locations	Madhya Pradesh
Depth	Approx. 1200 m
Cost	Approx.INR 5.4 Crores for 13 wells
Area	Total Approx. 1.5925 Ha (Layout 35m x 35m-Short term lease-temporary for a well)
District	13 wells across seven districts District namely Raisen, Sagar, Damoh, Chhatarpur, Panna, Sidhi and Shahdol under R&D programme.
Power Requirement	4.0kVA (3.2 kWh) for two Rig & 1.6 kWh for one Rig well.
Capacity of D.G Set	2 KVA Per Rig
Water requirement (Approximately)	7 KLD (For two Rig) & 3.5 KLD (For one Rig well).
MOU between OEC & DAE	23.12.2020
SPCB Comments/CTE details	CTE clearances for 13 no.of well sites and out of 13 applications, Eleven (11) no.of well sites have been cleared for CTE and the relevant certificates have been issued by MPPCB.
Env. Con. details	Shri Dr. Ratan Kumar M/s Mantec Consultants Pvt. Ltd.Noida (U.P.).

District wise Distribution of wells

S.No.	District	No. of Proposed wells
1.	Raisen	2
2.	Sagar	2
3.	Damoh	3
4.	Chhatarpur	2
5.	Panna	2
6.	Sidhi	1
7.	Sahdol	1
	Total	13

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 942वी बैठक दिनांक 02.03.2026 का कार्यवाही विवरण

Sl. No.	Well Name	Latitude	Longitude	Khasra No.	Name of Village	Tehsil	District
1	PW-I	23°50'33.98"N	79°16'55.27"E	506 (S)	Pipariya Chhakka	Patharia	Damoh
2	PW-II	24° 0'17.00"N	79°18'42.00"E	951 (S)	Jerat	Patharia	Damoh
3	PW-III	23°46'19.39"N	79°11'11.20"E	603 (S)	Garhakota	Garhakota	Sagar
4	PW-IV	23°43'50.11"N	79° 3'46.60"E	77/1 (S)	Sahuwan	Rehli	Sagar
5	PW-V	24°13'11.25"N	79°17'59.97"E	517/1(S)	Kuhi	Buxwaha	Chhatarpur
6	PW-VI	24°15'32.76"N	79°18'10.82"E	88/1(S)	Kerwara	Buxwaha	Chhatarpur
7	PW-VII	24°27'5.15"N	80°18'10.86"E	4360(S)	Sugarha	Gunaur	Panna
8	PW-VIII	24°27'54.82"N	80° 2'49.99"E	304(S)	Mahguwan Khurd	Amanganj	Panna
9	PW-IX	24°19'33.46"N	81°23'44.35"E	1761 (S)	Baghwar	Rampur Nekin	Sidhi
10	PW-X	24° 1'22.24"N	81° 6'42.91"E	947/1(S)	Papaundh	Beohari	Shahdol
11	PW-XII	23° 3'15.81"N	78°42'6.61"E	179/2 (S)	Richhawar	Devari	Raisen
12	PW-XIII	23° 6'2.37"N	78°32'37.62"E	40/1 (S)	Satehari	Udaipura	Raisen
13	PW-XVI	23°54'59.05"N	79°28'56.01"E	155/2 (S)	Jhagri	Damoh	Damoh

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति(**SEAC**)की **867**वी बैठक दिनांक **07.02.2026** की अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**)की **942**वीं बैठक दिनांक **02.03.2026**में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों,मानक शर्तोंके साथनिम्नबिंदु **i** से**xviii** को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को **EIA** अधिसूचना **2006** एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पूर्ण रूप से EMP में प्रस्तावित सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ii) ड्रिलिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि हीलियम अथवा अन्य गैसीय संसाधनों की उपस्थिति पाई जाती है, तो उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता स्थापित करने हेतु कुएं का परीक्षण (Well Testing) किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) ड्रिलिंग के कारण उत्सर्जित पानी के साथ संभावित हैवी मेटल के निष्पादन हेतु पर्याप्त सावधानी रखी जावे एवं उसका निष्पादन TSDF में किया जावे। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

(iv) यदि व्यावसायिक मात्रा में हीलियम की उपस्थिति प्रमाणित होती है, तो उस स्थिति में भूमि के स्थायी/दीर्घावधि पट्टा अधिग्रहण हेतु नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाए। परियोजना पूर्ण होने के पश्चात जहाँ व्यावसायिक उत्पादन प्रस्तावित न हो, वहाँ यथासंभव भूमि को उसकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित (Site Restoration) किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भूमि स्वामियों की संतुष्टि अनुसार कार्यवाही की जाए।

(v) जल निकायों से 500 मीटर के भीतर एवंसंरक्षित क्षेत्रकोई भी ड्रिलिंग गतिविधि नहीं की जाएगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक ड्रिलिंग गतिविधि से उत्पन्न नॉइज़ (शोर) पर नियंत्रण के लिए उचित प्रबंध करे।

(vii) ड्रिलिंग हेतु बेस्ट प्रेक्टिस का इस्तमेाल किया जावे एवं पूरा ऑपरेशन सुग्राहिता के साथ किया जावे।भू–जल में प्रदूषण की संभावना उत्पन्न न हो ऑपरेशन सतत् निगरानी में किया जावे।

(viii) परियोजना प्रस्तावक/कम्पनी द्वारा आगशमन के ठोस इंतजाम सुनिश्चित किये जावें ताकि ईधन अथवा भू–गैस के कारण आग न लगे।

(ix) ईधन या तेल के कारण भू–प्रदूषण न फैले इस हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जावें।

(x) ड्रिलिंग से पूर्व एवं पश्चात् निकटवर्ती जल स्रोतों का जल गुणवत्ता परीक्षण कराया जाए।

(xi) ड्रिल कटिंग एवं ड्रिलिंग मड का संग्रहण HDPE लाइनयुक्त पिट में किया जाए तथा वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

(xii) किसी भी प्रकार का अपशिष्ट खुली भूमि या जल स्रोत में निर्वहित न किया जाए।

(xiii) डी.जी. सेट पर acoustic enclosure अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए एवं उत्सर्जन मानक नियमानुसार बनाए रखें।

(xiv) कार्य केवल स्वीकृत गैर–वन भूमि क्षेत्र में ही किया जाए तथा कार्योपरांत स्थल पुनर्स्थापन (Site Restoration) किया जाए।

(xv) भू–जल दोहन प्रस्तावित होने पर सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

(xvi) प्रयुक्त तेल एवं अन्य खतरनाक अपशिष्ट का निस्तारण अधिकृत रिसाइक्लर के माध्यम से किया जाए।

(xvii) ब्लो–आउट प्रिवेंटर (BOP) एवं अग्निशमन उपकरण स्थल पर उपलब्ध रखे जाएँ।

(xviii) कार्य पूर्ण होने पर साइट क्लोजर रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाए।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

8. Proposal No.: SIA/MP/IND3/548152/2025; Case No. P2/1470/2025Prior Environment Clearance for Proposed Expansion Project of " Synthetic Resin Manufacturing Plant and HDF & MDF Boards Plant" at Plot HA1, Malanpur Industrial Area Village-Ghirongi, District- Bhind, (M.P.) Total Plot area of 222526 M^2 (22.2526 Ha.) for production capacity of Melamine formaldehyde Resin (MF) 50 TPD, Melamine Urea Formaldehyde Resin (MUF) 30 TPD and Urea Formaldehyde Resin (UF) 70 TPD by Shri Raman Kumar Poddar, President, M/s ELIXRR Industries Pvt. Ltd., 25 Makers Chamber III, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai (Maharastra) 400021.

1. **M/s ELIXRR Industries Pvt. Ltd. मैसर्स पियांशु केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (पीसीपीएल) की** Manufacturing यूनिट प्लॉट नंबर HA1, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर, जिला भिण्ड, म.प्र. में स्थित है । कंपनी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या **62382** dtd **19.06.2025 से प्राप्त जल और वायु सहमति के तहत Melamine formaldehyde Resin (MF) 50 TPD, Melamine Urea Formaldehyde Resin (MUF) 30 TPD and Urea Formaldehyde Resin (UF) 70 TPD की कुल उत्पादन क्षमता के साथ उत्पादों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।**
2. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 845वीं दिनांक 17.11.2025 एवं 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 63 से 73 तक अंकित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तुत तालिका निम्नानुसार है :–

Details of Products & By-products.						
SN	**Name of Product**	**Existing**	**Proposed**	**Total**	**Unit**	**Remarks**
1.	MDF/HDF/Pre Laminated Fibre Board & Laminated Wooden Flooring	300000	0	300000	Cubic Meter/year	Non-EC product
2.	Plain and Pre Laminated Particle Boards	150000	0		Cubic Meter/year	Non-EC product
3.	Urea Formaldehyde Resin (UF)	0	70	70	TPD	**EC product**
4.	Melamine Formaldehyde Resin (MF)	0	50	50	TPD	**EC product**
5.	Melamine Urea Formaldehyde Resin (MUF)	0	30	30	TPD	**EC product**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 942वी बैठक दिनांक 02.03.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 845वीं दिनांक 17.11.2025 एवं 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) पानी की आवश्यकता MPIDC जलापूर्ति के माध्यम से ही पूरी किया जाना सुनिश्चित करें।

(ii) उद्योग से उत्पन्न Waste Heat का अधिकतम पुर्नउपयोग उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(iii) उद्योग से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न खतरनाक कैमिकल जैसे फिनॉल, फार्मलडीहाईड इत्यादि रसायन का अधिकतम रिकवरी प्रचलित विधियों के द्वारा किया जाये।

(iv) उद्योग से उत्पन्न दूषित जल का खासतौर से Resin बनाने वाली इकाई का जहॉ तक हो सके पुर्नउपयोग उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(v) रिसाव का पता लगाने के लिए मशीनरी के संचालन के दौरान सभी ईंधन, तेल, या द्रव युक्त फिटिंग, होसेस और सील का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए एवं इसका रिकार्ड भी रखा जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोडिंग–अनलोडिंग क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रावधान जैसे इस क्षेत्र के भू स्थल/ठोस सरफेस का विकास, क्षेत्र की साफ सफाई, इस क्षेत्र के अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निष्पादन एवं अन्य उपाये किए जाए।

(vii) अपशिष्ट जल के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए:

- Effluent को त्रिस्तरीय उपचार प्रणाली तक उपचारित करने के लिए प्रस्तावनानुसार ETP अनिवार्य रूप से नियोजन किया जाये।प्रक्रिया में विभिन्न इकाइयों से पुनः प्राप्त अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाये ।
- विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों, उपकरणों की सफाई, फर्श की धुलाई आदि से निकली अपशिष्ट जल को सेटलिंग टैंक में एकत्र किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।
- उपचारित अपशिष्ट जल का 100% पुनर्चक्रण होना चाहिए और उद्योग इकाई से "शून्य तरल निर्वहन" (ZLD) सुनिश्चित करे।
- बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रक्रिया अपशिष्ट जल को स्टॉर्म वाटर के साथ मिश्रित नहीं होने देना चाहिए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपचारित अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि एमपीपीसीबी/सीपीसीबी के निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जा सके।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वाराप्रस्तावित वृक्षारोपण के साथ ही प्लांट के चारों ओर बाउन्ड्री के किनारे तीन कतारों में वृक्षों की उन प्रजाति का चयन कर सघन वृक्षारोपण किया जावें जिनमें प्रदूषण को अवशोषित करने की क्षमता हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) सघन हरित क्षेत्र (33% से कम नहीं) साइट के चारों ओर विशेष रूप से प्रमुख हवा की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए।

(xi) संयंत्र उत्पाद परिवहन हेतु ई–वाहनों की संभावनाओं को भी तलाशा जावें।

(xii) ईकाई से निकलने वाली दुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India यथा संशोधित यदि हो तो सुझाये उपायों के अनुकुल व्यवस्था की जाये।

a. दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले घटकों को चिहिन्त कर उनके लिये पर्याप्त तकनीकी दृष्टि से नियंत्रण की सक्षम कार्यवाही किया जाये। ETP के आस पास भूदृश्यीकरण कर उसे सुसज्जित करे साथ ही सुगंध उत्पन्न करने वाले पौधों /झाड़ियों का रोपण इस क्षेत्र में करे।

b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।

c. उपाय जैसे मिस्ट फिल्टरेशन, वेट स्क्रबिंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीन बेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उढ़ाये जाये।

(xiii) परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 845वीं दिनांक 17.11.2025 एवं 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से xiii एवं परिशिष्ट–2 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

9. Proposal No. SIA/MP/MIN/455354/2025, Case No. P2/1983/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.720 Hectare, for Production Capacity of 6500 Cubic Meter Per Year (As per DEIAA EC), at khasra No. 156, in Village Batondha, Tehsil – Dindori, District – Dindori (M.P.) by Shri Ramesh Purswani, Ward No. 07 Upadhyay Mohalla, Birsinghpur Pali, Mudariya, Distt. – Umaria (M.P.) – 484551

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **867वी बैठक दिनांक 07.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा पत्र क्र. 9331 दिनांक 21.07.2023 के माध्यम से दिनांक 26.01.2031 तक लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.01.2031 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 12/06/2024 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर निर्धारित दूरी छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा एवं वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तो का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट एवं पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 19 वृक्षों में से काटे जाने वाले 05 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 50 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये तथा शेष वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा एवं वृक्षों के काटने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय** WP no. 17144/2024 **एवं** WP no. 42565 /2025 **में पारित आदेश का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

10. Proposal No. SIA/MP/MIN/515188/2024, Case No. P2/1605/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.30 ha. (as per SEAC recommendation mineable area is 1.0194 ha.), for production Capacity of 3500 cum per year (as per DEIAA EC), at Khasra No. 488,489, 490, 491, 492, 493 and 494, Village- Kanasiya, Tehsil Tarana, District-Ujjain (MP) by Shri Hemant Garg, Owner, New Market Makshi Tehsil and District Shajapur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 एवं 834वी बैठक दिनांक 10.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 एवं 834वी बैठक दिनांक 10.10.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन द्वारा पत्र क्र. 1658 दिनांक 13.09.2018 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.09.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/521711/2025 Case No P2/1529/2025 Prior Environment Clearance for Murrum and Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha., for Expansion Producation Capacity of from 25000 Cum Per Year to Murrum – 25000 cum per year and Gitti – 35,000 cum per year at Khasra No. 1207, Village- Ringnod, Tehsil – Sardarpur, District- Dhar (MP) by Shri Bhojraj Kamedia, Lessee, situated near village Ringnod Tehsil Sardarpur District Dhar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **867वी बैठक दिनांक 07.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार द्वारा पत्र क्र. 235 दिनांक 31.01.2024 के अनुसार लीज दिनांक 13.03.2027 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.03.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **हाईटेंशन लाईन से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/521929/2025 Case No. P2/2012/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha., for Expansion Producation Capacity of from 14831 Cum Per Year to Gitti 25000 cum per annum and M-Sand 25,000 cum/Annum, at Khasra No. 241/1/2 Peki, in Village - Sandla, Tehsil - Badnawar, District Dhar (M.P.) by Shri Rajdeep Singh Sisodiya, Lessee, Pipalipada, Sandla, Dhar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **867वी बैठक दिनांक 07.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार द्वारा पत्र क्र. 1741 दिनांक 11.06.2025 के अनुसार लीज दिनांक 24.01.2029 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.01.2029 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

13. **Proposal No. SIA/MP/MIN/525178/2025** Case No **P2/1585/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha. (as per SEAC recommendation mineable area is 0.7031 ha.), For Producation Capacity of Gitti – 4950 cum per year and M-Sand 5050 cum per year (as per SEAC recommendation), at Khasra No. 1243, Village- Pachlasi, Tehsil Kachroad District-Ujjain (MP) by Shri Rishi Sharma, Lessee, R/o -90, Subhash marg, Khachrod, Ujjain, (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 एवं 834वी बैठक दिनांक 10.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 एवं 834वी बैठक दिनांक 10.10.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो **के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक** दिनांक 20.02.2024 **में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय** स्वीकृति **प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला** उज्जैन द्वारा **पत्र क्र. 3517 दिनांक 30.12. 2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक** स्वीकृति **प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक** 29.12.2034 तक **वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण** रिपोर्ट में **विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत** ही उत्खनन कार्य **प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन** सुनिश्चित **किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित** खनन योजना **अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया** जायेगा एवं **खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/432550/2023 Case No.- 10772/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha., For Producation Capacity of -18000 cum per year (as per SEAC recommendation), at Khasra No. 239/222, Village-Shahpur, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) by Shri Bharat Shukla, Lessee, R/o 107, Lala Lajpat Rai Colony, Govindpura, District-Bhopal (MP)-462023

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **867वी बैठक दिनांक 07.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) **द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत** SEAC की 867वी **बैठक दिनांक 07.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तों** (संलग्नक–ए) सहित की गई **अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त** विशिष्ट शर्तों के साथ **प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक** शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित **प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया** गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)** जिला भोपाल द्वारा **पत्र क्र. 288 दिनांक 30.01.2017 के माध्यम से दिनांक 30.04.2028** तक लीज नवीनीकरण **की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय** स्वीकृति की वैधता **दिनांक 30.04.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में** मौजूद पेड़ों **को** काटा **नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू** करने से पहले **कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में** हरित क्षेत्र **विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों** द्वारा एवं खनिज अधिकारी **की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/542407/2025 Case No. 1953/2014 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast manual/semi-mechanized method), in an area of 2.00 ha., for production capacity of 9000 cum/year, at Khasra no. 30/1, at Village - Astoan Tehsil - Tikamgarh, District - Tikamgarh. (M.P) by Smt Somvati Gangele, W/o Shri Ashok Kumar Gangele, Behind Nagar Bhawan, District 472005 Regarding transfer of EC in the name of M/s A.V.S. Stone Crusher, 59 nehru - Tikamgarh (M.P) -ward no. 1 kari khas tehsil and district tikamgarh (MP)

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **867वी** बैठक दिनांक **07.02.2026** में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

.... After presentation committee observed in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC and PP has obtained CCR from MoEF&CC, hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC.

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Smt Somvati Gangele, W/o Shri Ashok Kumar Gangele, Behind Nagar Bhawan, District 472005** के नाम **Stone Mine (opencast manual/semi-mechanized method), in an area of 2.00 ha., for production capacity of 9000 cum/year, at Khasra no. 30/1, at Village - Astoan Tehsil - Tikamgarh, District - Tikamgarh (MP)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **M/s A.V.S. Stone Crusher, 59 nehru - Tikamgarh (M.P) -ward no. 1 kari khas tehsil and district tikamgarh (MP)** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

IV. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 2827-28 दिनांक 03.03.2015 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) टीकमगढ़ के लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 2145 दिनांक 01.08.2017 एवं लीज नवीनीकरण पत्र क्र. 2546 दिनांक 10.12.2024 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वेधता दिनांक 21.05.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

16. **Proposal No. SIA/MP/MIN/545199/2025, Case No. P2/1857/2025, Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 3.360 ha., For Producation Capacity of – 20,000 cumper annum (M-sand – 15000 cum per annum & Boulder–5000 cum per annum), at Khasra No. 58, Village – Ghoghri, Tehsil-Baxwaha, District- Chhatarpur (M.P.). by Shri Nandkishor Sahu, R/o 7, Near Temple, Sujnipur, Village Sujnipur, Damoh (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 867वी **बैठक दिनांक 07.02.2026 एवं 843वी बैठक दिनांक 10.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) **द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत** SEAC की 867वी **बैठक दिनांक 07.02.2026 एवं 843वी बैठक दिनांक 10.11.2025 की** विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) **सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण** की निम्नलिखित अतिरिक्त **विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं** बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित **मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में** पर्यावरणीय स्वीकृति **प्रदान किये जाने का निर्णय लिया** गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)** जिला छतरपुर द्वारा पत्र क्र. **755 दिनांक 01.05. 2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक** स्वीकृति **प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक** 30.04.2035 तक **वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण** रिपोर्ट **में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर** उक्त खदान की जानकारी **(अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के** उपरांत ही उत्खनन कार्य **प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी** द्वारा परिपालन सुनिश्चित **किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं पानी की टंकी से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग** जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में** मौजूद पेड़ों **को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य** शुरू करने से पहले **कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में** हरित क्षेत्र विकसित **किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों** द्वारा एवं खनिज **अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

17. Proposal No. SIA/MP/MIN/548603/2025, Case No. P2/2008/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 3.60 ha., For Producation Capacity of Gitti 12000 m3/year & M-sand 18,000 m3/year, at Khasra No. 2677 & 2681, Village - Semalkhedi, Tehsil- Nalkheda, District-Agar Malwa (M.P.) by Smt. Sunanda Sharma, R/o- M. No. 122, ward no. 05, Hanuman Mandi Nalkheda, Tehsil-Nalkheda, District-Agar Malwa, (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श** उपरांत SEAC की 867**वी बैठक दिनांक 07.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो** (संलग्नक–ए) सहित की गई **अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त** विशिष्ट शर्तो के साथ **प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित** मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित **प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का** निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज** शाखा) जिला आगर–मालवा द्वारा पत्र क्र. **I/329442/2025 दिनांक 26.06.2025 के माध्यम से 10 वर्ष** की सैद्धान्तिक **स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय** स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.06.2035 **तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन** जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर** उक्त खदान की जानकारी **(अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के** उपरांत ही उत्खनन कार्य **प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी** द्वारा परिपालन सुनिश्चित **किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं पुलिया स्ट्रक्चर से न्यूनतम 200 मीटर** तक नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक** द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को **काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

18. Proposal No. SIA/MP/MIN/549103/2025, Case No. 8673/2021 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 4.0 ha., For Producation Capacity of - 22000 cum per annum & Murrum - 6000 cum per annum, at Khasra No. 574 Min-2, Village - Kaldela, Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua (MP) by Shri Ravindra Padwal S/o Shri Kirtan Singh Padwal, R/o Village - Nayagaon Jagir, Tehsil - Petlawad, Dist. Jhabua, MP Regarding transfer of EC in the name of Shri Vaibhav Gandhi, Owner, 21, Killa Jobat Marg Jobat, DistrictAlirajpur, (M.P.)

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

.... The committee observed the documents and information submitted on the Portal in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC. The lease transfer date 31/05/2024 and application for EC transfer is 23-08-2025 on portal, the application for EC transfer is made well within 12 months hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC.

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 867वी बैठक दिनांक 07. 02.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Shri Ravindra Padwal S/o Shri Kirtan Singh Padwal, R/o Village - Nayagaon Jagir, Tehsil - Petlawad, Dist. Jhabua, MP** के नाम **Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 4.0 ha., For Producation Capacity of - 22000 cum per annum & Murrum - 6000 cum per annum, at Khasra No. 574 Min-2, Village - Kaldela, Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua (MP)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **Shri Vaibhav Gandhi, Owner, 21, Killa Jobat Marg Jobat, District Alirajpur, (M.P.)** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति **Identification No. - EC21B001MP189979** दिनांक 19.12. 2021 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) झाबुआ के लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 524 दिनांक 31.05.2024 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वेधता दिनांक 09.01.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14. 06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

19. Proposal No. SIA/MP/MIN/554351/2025 Case No P2/1190/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha., For Producation Capacity of -1,80,000 cum per annum (Gitti-30,000 cum per annum and M-Sand-1,50,000 cum per annum), at Khasra No. 357, Village- Ghura Tehsil- Rajnagar District Chhatarpur (M.P.). by Shri Dharmendra Rai, Partner, premium stones, R/o- Ward No 12 city charch ke samne naugaon, District-Chhatarpur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **867वी बैठक दिनांक 07.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. SEAC द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है किन्तु कार्यवाही विवरण में विशिष्ट शर्तों एवं साधारण शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो SEAC द्वारा प्रकरण में बिना विशिष्ट एवं साधारण शर्तों के किस आधार पर अनुशंसा की गई है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जब DEIAA EC के प्रकरण को परिवेश पोर्टल पर Fresh EC में आवेदन किय गया है तो फिर SEAC द्वारा किस आधार पर उत्पादन क्षमता को कम किया गया है यदि उत्पादन क्षमता DEIAA EC से अधिक है तो परियोजना प्रस्तावक से DEIAA EC की शर्तो का क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC से अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर परीक्षण उपरांत अनुशंसा की जाना था।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

20. Proposal No. SIA/MP/MIN/555282/2025 Case No. P2/1550/2025 Prior Environment Clearance for Bauxite, Laterite and Fireclay Mine (opencast semi mechanized method), in anarea 8.15 ha., For Producation Capacity of 40394.44 Metric Ton Per Year, at Khasra No. 865, 866, Village- Khajuri, Tehsil-Murwara, District – Katni (M.P.) by Shri Nilesh Pouranik, Lease Owner, R/O-Shri Satyanarayan Mandir, Tehsil-Murwara, District-Katni (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **867वी बैठक दिनांक 07.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **म.प्र. खनिज साधन विभाग भोपाल द्वारा पत्र क्र. 5156/1191310/2023/12/2 दिनांक 04.10.2023 एवं पूरक अनुबंध निष्पादन दिनांक 07.07.2025 के माध्यम से दिनांक 28. 03.2053 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.03.2053 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 22/04/2025 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर निर्धारित दूरी छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा एवं वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं सी.बी.जी. प्लान्ट से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

21. Case No. - 5708/2018 M/s Sterling Balajee Mega Ventures, Near Spring Valley, Katara Hills, Bhopal, (M.P.) – 462043.Prior E C for Pride City Phase - II of M/s Sterling Balajee Mega Ventures at Khasra No. – 316/1, Village - Katara, Tehsil-Huzur, Distt. - Bhopal (M.P.) Total Plot Area: 32374.88 Sqm, (3.237 Hect.) Net Planning Area: 39868.60 Sqm. (3.237Hect.), Total Built--up Area: 32374.88 Sqm., Cat. - 8(a)

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 716वी बैठक दिनांक 23.01.2024 में उक्त प्रकरण में बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा 839वी बैठक दिनांक 13.03.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"..........राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि SEAC की 716 वी बैठक दिनांक 23. 01.2024 के कार्यवाही विवरण में उपरोक्तानुसार प्रकरणों का SEAC समिति की स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन असंगत प्रस्तुत किया गया है। अतः बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने हेतु समिति के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में SEAC द्वारा संशोधन जारी किये जाने तक प्रकरणों को स्थगित किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।"

उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा 716वी बैठक दिनांक 23.01.2024 में बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने की अनुशंसा की गई किन्तु प्रकरण में SEAC द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न नहीं किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31.05.2024 को आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में जमा बैंक गारंटी को विमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में SEAC द्वारा बैंक गांरटी विमुक्त किये जाने के संबंध में किये गये स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट परीक्षण एवं अभिमत सहित प्राधिकरण को प्रेषित करें। प्रकरण तकनीकी नस्ती सहित परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

22. Case No. 5707/2018: Prior Environment Clearance for Proposed "Pride City – Phase I" M/s. SterlingBalajee Mega Ventures at Vill.-Katara p.h. no. 25, at Khasra No.-318/2, 319, 320/2 & 321/2,Tehsil-Huzur, District- Bhopal MP Plot Area: 40468.60 sq.m. Built-up Area: 43830.48 sq.m. by Mr.Ashwini Agarwal, Partner M/s. Sterling Balajee Mega Ventures Near Spring Valley Katara Hills,Bhopal MP – 462043

प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26.05.2024 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति प्राधिकरण द्वारा पत्र क्र. 239 दिनांक 21.04.2023 के माध्यम से प्रकरण में जमा बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने की अनुशंसा हेतु SEAC को प्रेषित की गई थी। किन्तु SEAC समिति द्वारा प्रकरण में बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही प्राधिकरण को प्रेषित नहीं की गई है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन के आधार पर नियमानुसार परीक्षण कर अनुशंसा/अभिमत सहित प्राधिकरण को प्रेषित करें। प्रकरण तकनीकी नस्ती सहित परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें(भवन निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट –1

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–
   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल,मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
5. SEIAAद्वाराप्रकरणमेंजारीपर्यावरणस्वीकृतिमाननीय सर्वोच्चन्यायालय, माननीय उच्चन्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवंअन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशानिर्देशों के अधीनमान्य रहेंगीतथामाननीय सर्वोच्चन्यायालय, माननीय उच्चन्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवंअन्य न्यायालयों द्वाराजारीसभीनिर्देशों/निर्णयोंकाअनुपालनपरियोजनाप्रस्तावक के लियेबाध्यकारीहोगा।
6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network
9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.

11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.

12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.

13. **For firefighting:-**

    a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required .2016fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC

    b. The occupancy permit shall be issued by MunicipalCorporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

    c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises

14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.

16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover aredesirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping

17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.

18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.

19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.

20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.

21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.

23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/

orhttp://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

परिशिष्ट–2

1. Water requirement shall be met through MPAKVN water supply only. Prior permission from concerned authority shall be obtained for withdrawal of water.
2. The Project Proponent shall make necessary arrangements for control of Air Pollution occurring due to the installation and operation of the Air Polluting machinery installed in the industrial premises.
3. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
4. The project proponent shall construct rain water tanks to store rain water runoff generated from the roof tops etc during monsoon season within its premises.
5. The project proponent shall minimize the water consumption in the industrial plant complex by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
6. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.
7. PP should ensure to achieve minimum 95% solvent recovery. Close loop solvent recovery system with adequate condenser system shall be provided to recover solvent vapours in such a manner that recovery shall be maximum and recovered solvent shall be reused in the process within premises.
8. The project proponent shall undertake pre-monsoon and post monsoon monitoring of the Ground water for heavy metals in addition to routine parameters. At least 3 samples i.e. one from within the premises and two from outside the premises of the industry shall be taken.
9. All the vehicle movement areas as well as approach road to the gate /weighing bridge shall be paved with pucca/metalled / cement concrete to control the dust emissions expected from vehicle movements.
10. The vehicles to be used for loading/unloading purposes shall not be parked along the roadside to avoid traffic congestion and a dedicated parking place to be provided for the same within the Project premises.
11. The project proponent shall adopt green technologies to conserve water and energy. Also, provide abrasive resistant fire bricks in the crucibles to reduce the periodic maintenance and disposal of discarded fire bricks if applicable.
12. The project proponent shall use natural gas as substitute fuel wherever possible in the existing industry/ for the expansion project as soon as this becomes commercially available. PP should ensure to implement non conventional energy source wherever is possible.
13. Odour Management:

(a) Nozzles, sprayers and atomizers that spray ultra-fine particles of water or chemicals should be used along the boundary lines of area sources to suppress odours

(b) Odorous air streams frequently contain high concentration of moisture. PP should ensure to use Mist filters for this purpose so that mist filter can remove solids and liquids from gas stream.

(c) Regular transportation of Sludge and other odor producing material to CHWTSDF

(d) Proper storage of chemical, solvent to avoid direct contact of sunlight

(e) Personal Protective Equipment should be provided to the workers while handling of chemical and raw material

14. PP should ensure to make arrangement for disaster management.

15. No construction and expansion activities will be allowed in MOS area.

16. Leak Detection and Repair (LDAR) program shall be prepared and implemented as per the CPCB guidelines. LDAR Logbooks shall be maintained.

17. The specific need base activities to be undertaken under CER to be carried out in consultation with District collector.